भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/27/2018 दिनांक : 03 अप्रैल, 2018

प्रेस नोट

विषय: कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2018-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में संदर्भित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज।

कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन कराने संबंधी अनुसूची दिनांक 27.03.2018 को घोषित कर दी गई है। मतदान दिनांक 12/05/2018 को एक चरण में आयोजित किया जाना अनुसूचित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति हेतु निर्धारित घंटे से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ टेलीविजन या समरूप माध्यम/साधनों के माध्यम से किसी भी निर्वाचन संबंधी बात के प्रदर्शन का निषेध करती है। उक्त धारा 126 के सुसंगत अंश नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

(126 मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटो की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिबंध-

(1) कोई भी व्यक्ति-

(क) ....

(ख) चलचित्र, टेलीविजन या अन्य समरूप उपकरणों के माध्यम से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेंगे;

(ग) ....

मतदान क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान

(2) वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा कारावास में, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

(3) इस धारा में, ''निर्वाचन संबंधी बात'' पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है)।

2. निर्वाचनों के दौरान कभी-कभी टी.वी चैनलों द्वारा उनकी पेनल चर्चाओं/ वाद-विवाद तथा अन्य समाचारों और वर्तमान मामला कार्यक्रमों के प्रसारण में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उपर्युक्त धारा 126 के उल्लंघन का आरोप लगता रहा है। विगत मे भी आयोग ने यह स्पष्ट किया था कि उक्त

धारा 126, निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ टेलीविजन या समरूप उपकरणों के माध्यम से किसी भी निर्वाचन संबंधी बात के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाती है। उस धारा में ''निर्वाचन संबंधी बात'' को ऐसी बात के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या परिकल्पित हो। धारा 126 के उपर्युक्त उपबंधों का उल्लंघन दो वर्ष के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों द्वारा दंडनीय होगा।

3. आयोग इस बात को पुन: दोहराता है कि टीवी/रेडियो चैनलो तथा केबल नेटवर्कों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 में संदर्भित 48 घंटों की अवधि के दौरान उनके द्वारा टेलीविजन प्रसारित/रेडिया प्रसारित/प्रदर्शित कार्यक्रमों की विषय सूची में पैनल के सदस्यों/प्रतिभागियों द्वारा दिए गए विचारों/अपीलों सहित कोई ऐसी सामग्री न हो जिससे निर्वाचन के परिणामों को प्रभावित करने/असर डालने या अभ्यर्थी(र्थियों) अथवा किसी विशेष दल की संभावनाओं को प्रोत्साहित करने/प्रतिकूल प्रभाव डालने का अर्थ लगाया जाए। अन्य बातों के अलावा, इसमें किसी भी ओपीनियन पोल तथा वाद-विवादों के परिणामों विश्लेषण, विजुअल तथा साउंड बाइट्स का प्रदर्शन भी शामिल होगा।

4. इस संबंध में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो कि सभी राज्यों में मतदान प्रारंभ होने से तथा मतदान समाप्त होने के आधा घंटा बाद तक के बीच की अवधि के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करने और उसके परिणामों को प्रसारित करने को प्रतिबंधित करती है।

5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 और 126क द्वारा कवर न होने वाली अवधि के दौरान संबंधित टीवी/रेडियो/केबल/एफ एम चैनल आउटडोर किसी भी प्रसारण संबंधी घटनाओं के संचालन, जो शालीनता, सांप्रदायिक एकता के अनुसरण आदि के संबंध में केबल नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के अधीन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोग्राम कोड और आदर्श आचार संहिता के उपबंधों के अनुरूप हो, हेतु आवश्यक अनुमति के लिए राज्य/जिला स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। पेड न्यूज़ और उनसे संबंधित मामलों और के संबंध में आयोग के दिनांक 27 अगस्त, 2012 के दिशा-निर्देशों के उपबंधों के अंदर ही रहने की अपेक्षा की जाती है। संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसी अनुमति देते हुए कानून और व्यवस्था की स्थिति सहित सभी संगत पहलू ध्यान में रखेंगे। जहां तक राजनीतिक विज्ञापनों का संबंध है, आयोग के दिनांक 15.04.2004 के आदेश संख्या 509/75/2004/जेएस-I के अनुसार राज्य/जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा टेलीकॉस्ट/प्रसारण पूर्व प्रमाणन किया जाना अपेक्षित है।

6. दिनांक 30.07.2010 को प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी, निर्वाचन के दौरान पालन करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की ओर सभी प्रिन्ट मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया जाता है:

(i) प्रेस का यह कर्तव्य होगा कि वह निर्वाचनों तथा अभ्यर्थियों के बारे में विषयपरक रिपोर्ट दें। समाचार पत्रों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे निर्वाचनों के दौरान किसी अभ्यर्थी/पार्टी या घटना के बारे में अतिशोक्तिपूर्ण रिपोर्टों और दूषित निर्वाचन प्रचारों में हिस्सा लें। व्यवहार में, दो या तीन कड़ी प्रतियोगिता वाले निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी सारी मीडिया को अपनी ओर ध्यानाकर्षित करते हैं। वास्तविक प्रचार पर रिपोर्ट तैयार करते समय समाचार पत्र में ऐसा कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं छोड़ना चाहिए जो कि अभ्यर्थी द्वारा उठाया गया हो और जो उसके विरोधी पर आक्षेप लगाता हो।

(ii) सांप्रदायिक या जाति आधार पर वोट मांगते हुए निर्वाचन प्रचार करना निर्वाचन नियमावली के अधीन निषेध है। अतः, प्रेस को धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर लोगों के बीच विद्वेष या घृणा की भावना को बढ़ावा देने से बचना चाहिए।

(iii) प्रेस को किसी अभ्यर्थी के आचारण और उसके निजी चरित्र के संबंध में कोई मिथ्या या आलोचनात्मक वक्तव्य अथवा उसकी अभ्यर्थिता या नाम वापस लेने के संबंध में किसी प्रकार के प्रकाशन से बचना चाहिए ताकि निर्वाचनों में उस अभ्यर्थी की अपेक्षाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित न होने पाएं। प्रेस को किसी अभ्यर्थी/दल के विरूद्ध असत्यापित आरोपों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए।

(iv) प्रेस, किसी अभ्यर्थी/दल को सुव्यक्त करने में वित्तीय अथवा अन्य किसी प्रकार के प्रलोभन को स्वीकार नहीं करेगा। यह किसी अभ्यर्थी/दल की ओर से उनको दी जाने वाली कोई भी सुविधा या आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगी।

(v) प्रेस से किसी विशेष अभ्यर्थी/दल के प्रचार में शामिल होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यदि यह ऐसा करती है तो यह ऐसे अन्य अभ्यर्थी/दल को इस संबंध में जवाब देने के अधिकार की अनुमति भी देगी।

(vi) प्रेस, सत्ताधारी पार्टी/सरकार की उपलब्धियों के संबंध में सरकारी खर्च/राजकोष पर किसी विज्ञापन को स्वीकार/प्रकाशित नहीं करेगी।

(vii) प्रेस, निर्वाचन आयोग/रिटर्निंग अधिकारियों या मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सभी निदेशों/आदेशों/अनुदेशों का पालन करेगी।

7. एनबीएसए द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2014 को जारी ''निर्वाचन प्रसारण हेतु दिशा-निर्देश की ओर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ध्यानाकर्षण किया जाता है :-

(i) समाचार (न्यूज़) प्रसारकों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निर्धारित नियमों तथा विनियमों के अनुसार सुसंगत निर्वाचन मामलों, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, अभियान मामलों तथा मतदान प्रक्रियाओं के बारे में लोगों को वस्तुनिष्ठ तरीके से सूचित करने का प्रयास करना चाहिए।

(ii) न्यूज़ चैनलों को पार्टी या अभ्यर्थी के संबंध में किसी भी प्रकार की राजनैतिक संबद्धता का उल्लेख करना चाहिए। समाचार प्रसारकों का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपनी निर्वाचन संबंधी रिपोर्टिंग में संतुलित एवं निष्पक्ष बने रहें।

(iii) न्यूज़ प्रसारकों को सभी प्रकार की अफवाहों, निराधार अटकलबाजियों तथा गलत सूचना देने से बचना चाहिए, विशेषत:, जब यह किन्ही विशेष दलों या अभ्यर्थियों के संबंध में हो। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी/राजनैतिक दल जो कि इस प्रकार से बदनाम किया गया है या मिथ्या निरूपण, गलत सूचना देने या सूचना के प्रसारण द्वारा समरूप क्षति से पीड़ित है, तो उसमें तुरंत सुधार लाया जाए और जहां उचित लगे जबाव देने का अवसर भी प्रदान किया जाए।

(iv) समाचार प्रसारकों को ऐसे सभी राजनैतिक तथा वित्तीय दबावों से बचना चाहिए जो कि निर्वाचनों की कवरेज तथा निर्वाचन संबंधी मामलों पर प्रभाव डालते हों।

(v) समाचार प्रसारकों को अपने समाचार चैनलों में प्रसारित संपादकीय तथा विशेषज्ञ राय के बीच स्पष्ट अंतर रखना चाहिए।

(vi) वे समाचार प्रसारक जो राजनैतिक दलों से वीडियो सामग्री प्राप्त करते है, उन्हें इसका उल्लेख करना चाहिए और इसे उचित रूप से टैग भी करना चाहिए।

(vii) घटनाओं, तारीखों, स्थानों और उद्धरणों के संबंध में निर्वाचनों तथा निर्वाचन संबंधी मामलों से संबंध रखने वाले समाचारों/कार्यक्रमों की प्रत्येक मूलवस्तु के संबंध में यथार्थता सुनिश्चित करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि गलती से या असावधानी से किसी गलत सूचना का प्रसारण हो जाता है तो जैसे ही प्रसारक के ध्यान में यह बात आती है तो वह उसे उसी विशिष्टता से संपन्न करेगा जैसे कि मूल प्रसारण के समय किया था।

(viii) समाचार प्रसारकों, उनके संवाददाताओं और अधिकारियों को धन, किसी प्रकार का उपहार या ऐसा कोइ समर्थन स्वीकार नही करना चाहिए जो उन पर किसी प्रकार का प्रभाव डाले या प्रभाव डालता हुआ प्रतीत हो, हितों संबंधी विरोध उत्पन्न करे या प्रसारक अथवा उसके कार्मिक की विश्वसीनयता को क्षति पहुंचाए।

(ix) समाचार प्रसारक किसी प्रकार का 'घृणापूर्ण भाषण' या अन्य प्रकार के आपित्तजनक अंशों का प्रसारण नहीं करेंगे जिससे हिंसा या जनाक्रोश को बढ़ावा मिले या अव्यवस्था फैले क्योंकि सांप्रदायिक या जाति के आधार पर प्रचार करना निर्वाचन विधि के अधीन निषेध है। समाचार प्रसारकों को ऐसी रिपोर्टो से कड़ाईपूर्वक परहेज करना चाहिए जिससे धर्म, वंश, समुदाय, क्षेत्र या भाषा के आधार पर वैमनस्यता या घृणा की भावना को बढ़ावा मिले।

(x) समाचार प्रचारकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समाचारों तथा पेड सामग्री का अंतर बनाए रखने में सावधानी बरतें। सारी पेड सामग्री पर ''पेड विज्ञापन'' या ''पेड सामग्री'' स्पष्ट रूप से

चिहनित किया जाना चाहिए और पेड सामग्री दिनांक 24.11.2011 के ''पेड न्यूज़ पर प्रतिमानक और दिशा-निर्देश'' के अनुसरण में कार्यान्वित होने चाहिएं।

(xi) ओपीनियन पोल को रिपोर्ट करते समय उसकी सटीकता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, दर्शकों के लिए यह खुलासा किया जाना चाहिए, कि ओपीनियन पोल के संचालन और उसके प्रसारण के लिए उन्हें किसने अधिकृत किया है, किसने उसका संचालन किया है और किसने उसके लिए भुगतान किया है। यदि किसी समाचार प्रसारक के पास ओपीनियन पोल अथवा अन्य निर्वाचन प्रेक्षणों का परिणाम है तो उसे ऐसे मतदानों की उनकी सीमाबद्धता सहित सीमाओं तथा कार्यक्षेत्र और उसका संदर्भ या उल्लेख अवश्य करना चाहिए। ओपीनियन पोल के प्रसारण के साथ ऐसी सूचना भी अवश्य दी जानी चाहिए जिससे दर्शक मतदान का महत्व समझ सकें यथा प्रयुक्त पद्धति, सैंपल का आकार, त्रुटियों की गुंजाइश, फील्डवर्क तारीखें तथा प्रयोग किए गए आंकड़े। प्रसारक को इस संबंध में भी सूचना देनी चाहिए कि वोट शेयर किस प्रकार सीट शेयर में बदल जाता है।

(xii) भारत निर्वाचन आयोग, समाचार प्रसारकों द्वारा निर्वाचनों की घोषणा से निर्वाचनों की समाप्ति और निर्वाचनों परिणामों की घोषणा तक किए गए प्रसारणों का अनुवीक्षण करेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण(एनबीएसए) को सदस्य प्रसारक द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले की शिकायत पर एनबीएसए द्वारा इसके विनियमों के अधीन ही कार्रवाई की जाएगी।

(xiii) प्रसारकों को, संभव स्तर तक, मतदान प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को प्रभावी रूप से सूचित करने के लिए मतदान का महत्व बताने तथा साथ ही कैसे, कब और कहां वोट करें, वोट के लिए रजिस्टर कराने और मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाने चाहिए।

(xiv) समाचार प्रसारकों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से परिणामों की घोषणा किए जाने तक किसी भी प्रकार के अंतिम, औपचारिक और निश्चित परिणामों का प्रसारण नहीं करना चाहिए जबतक कि ऐसे परिणामों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख न हो कि वे अनाधिकारिक हैं या अधूरे या अपूर्ण परिणाम अथवा प्रक्षपेण हैं जिन्हें अंतिम परिणामों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का सभी संबंधितों द्वारा विधिवत् रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए।

ह./-
(अजय कुमार)
सचिव